

प्रपत्र VII
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक परियोजनार्थ यथा परियोजना गंडक नदी पर बंगरा घाट पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पूल एवं पहुच पथ के निर्माण कार्य हेतु ग्राम जादोपुर थाना बैकुण्ठपुर थाना नं० 319 अंचल बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज में कुल 0.20ए० यानि 0.0809 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.20ए० यानि 0.0809हे० है और जो ग्राम जादोपुर थाना बैकुण्ठपुर थाना नं० 319 अंचल बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज में है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	55	646	केवाला	भीठ	0.20	अरुण सिंह वो प्रभुनाथ सिंह वो हरिकिशोर सिंह पिता स्व० छबीला सिंह सा० जादोपुर	ऊ०- सिवान प्यारेपुर द०- सिवान चकिया पु०- सिवान खैराआशा प०- हिकायत राय

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं० 30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।


समाहर्ता,
गोपालगंज।